# कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन--8306002022

क्रमांक / 2024–25 / 37706

दिनांक : 03.08.2024

# <u>निविदा सूचना संख्या DLSA/2024-25/37706</u>

UBN No -

NIB No-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024–2025 हेतु (कार्य आदेश तिथि से दिनांक 31.03. 2025 तक) लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के कार्यालय के लिये पूर्णतया अस्थायी पदों के लिये संविदा पर निम्नानुसार कार्मिक, श्रम विभाग से श्रम आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदार/फर्म/आपूर्तिकर्ता से निविदायें आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:–

क सं	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई पद)	कार्मिकों की संख्या	अधिकतम देय पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	
I	Office Assistant	03	₹ 19,000/-						
2	Receptionist Cum Data Entry Operator	01	₹ 16,000/-	15,000/-	200/-	13-08-2024 (04:00 PM)	13-08-2024 (04:00 PM)	13-08-2024 (04:30 PM)	
3	Office Peon	03	₹11,000/-						

- निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं शर्ते कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://districts.ecourts.gov.in/udaipur पर भी देखी जा सकती है।
- 2. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075–00–800–52–01, प्रतिभूति राशि 15,000 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443–00–103–00–00 में जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपन्न के साथ प्रस्तुत करनी होगी। नकद अथवा डी.डी. से जमा कराये गये निविदा शुल्क, प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं किये जाकर निविदा से वर्जित किया जायेगा। (Department Code 100211, DDO Code 25114)
- किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- कार्मिकों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव सचिव

(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर

# कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन--8306002022

### खुली बोली प्रपत्र 1 (तकनीकी बोली)

1- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता व मोबाईल नंबर.....

.

- 2- निविदा शुल्क रुपये 200 / ई ग्रास चालान संख्या.....के द्वारा बजट मद 0075–00–800–52–01 निविदा प्रपत्र शुल्क में जमा करवा दी गई है।
- 3- बोली प्रतिभूति / धरोहर राशि रुपये 15000 / का ई–ग्रास चालान संख्या...... दिनांक...... दिनांक...... दिनांक...... दिनांक......
- 4- बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:-

S. No.	Particulars	Reg. No. and Year	Date of reg.	Annexure No.
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)			
5.	आय कर नम्बर (PAN Number)			
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरषिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			
7.	अनुभव का विवरण (अपने लैटर हेड पर पृथक से सूची संलग्न करे और संबंधित विभाग⁄संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण भी संलग्न करें)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8	बैंक खाते का Cancelled चेक			

नोटः-- नियमानुसार जो भी लागु हो, उसमे सम्पूर्ण सूचनायें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 2- मै/हम राजस्थन लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक अपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी उपबन्धों के सभी उपबन्धों, समय-समय पर किये जाने वाले संबोधन सहित से यथावत बाध्य होना भी स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

1, 3-87

# कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन--02942412210

## खुली बोली प्रपत्र 2 (वित्तीय बोली)

वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु (कार्य आदेश की तिथी से 31.03.2025 तक) कार्मिकों की सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली / प्राईस बिड में हमारी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है:--

क्रम		कार्मिक को देय प	प्रस्तावित राशि		
सं.	पदका नाम	कार्मिक श्रेणी	कार्मिक की संख्या	सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI सहित अधिकतम राशि (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) रुपये	रुपये
1	-2	3	4	5	6
]	Office Assistant	उच्च कुशल	03	₹ 19,000/-	
2	Receptionist Cum Data Entry Operator	उच्च कु्शल	01	₹ 16,000/-	
3	Office Peon	अकुशल	03	₹ 11,000/-	

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 6 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियाँ अंकित की जायेगी।

 किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि कॉलम संख्या 05 (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) से अधिक नहीं होगी तथा इसमें सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESF शामिल होंगे।

3. कॉलम संख्या 6 में दरें शून्य / ऋणात्मक में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा राशि पूर्ण रुपये में अंकित की जायेगी।

#### बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Xer 30.2

# <u>नियम एवं शर्ते</u>

- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 200 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075-00-800-52-01, प्रतिभूति राशि 15,000 / – ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।। नकद अथवा डी.डी. से जमा कराये गये निविदा शुल्क, प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं की जायेगी तथा उसकी निविदा मान्य नही होगी। (Department Code - 100211, DDO Code - 25114)
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक / बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण--पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- 5. संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि को विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 7. कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 8. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिक के मानदेय राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 9. संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति कार्मिकों हेतु Helping नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- 10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
- 11. संवेदक / बोलीदाता द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आयामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व

40-3-8-2

संवेदक / बोलीदाता का होगा। <u>परन्तु यह समस्त राशि निविदा में अंकित अधिकतम देय राशि से अधिक</u> नही होगी। तथा इसी अधिकतम देय राशि में सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज, ई.पी.एफ. और ई.एस. आई भी शामिल होंगे।

- 12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13. यदि संवेदक / बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- 15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- 17. कार्मिकों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक करवाना होगा।
- 18. सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
- 19. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध करने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की रवतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- 20. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- 21. यदि एक से अधिक बोलीदाता की दरें समान मिलती है तो अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- 22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
- 23. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिक का Computer Test & Speed Test (Other than office Peon) लिया जोयगा तथा टेस्ट में सफल होने वाले कार्मिक ही कार्य करने के लिये अनुमत होगा।

fro 3-8-24

- 24. बोलियों का अपवर्जन अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- 25. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)

सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्ते पूरी नही करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः—

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

<u>ग.</u> जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

<u>ध.</u> जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

<u>ड.</u> यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :--

31. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट ⁄ बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम 500 रूपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit):— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरण किया जा सकेगा

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संख्था का निर्णय अंतिम होगा।

28. भुगतानः---

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

29. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):-- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐंगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:--

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि सें अधिक – 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक – 7.5%

(घ) ) विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए --10%

for 38-24

(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्वि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्वि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

- 30. निविदा प्रपत्र पर संवेदक / संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 31. आयकर की कटौति नियमानुसार की जायेगी।
- 32. निविदा दर दिनांक 31.03.2025 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।
- 33. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 34. मैन विद मशीन हेतु कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 35. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित दिनांक और समय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाष घोषित होता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।
- 36. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र उदयपुर शहर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Ker 3-8-2"

#### घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्त में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संख्या से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा ई—बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

#### Annexure A - Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

#### Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest :-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date: Place :

#### Annexure B - Declaration by The Bidder regarding Qualifications

#### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ...... for procurement of ...... in response to their Notice Inviting Bid No. ..... Dated...... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

- 1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
- 3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Place :

#### Annexure C - Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

#### (1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

#### (5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Date: Place :

#### (6) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date: Place :

### Annexure D - Additional Conditions of Contract

#### 1. Correction of arithmetic errors.-

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.
  If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing

#### 2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.-

Declaration shall be executed.

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original contract on same terms and conditions. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

#### 3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Biddder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Form No. – 1 (See rule 83)

# Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public

Procurement	Act,	2012
-------------	------	------

Appeal N	Io of .	
Before	(Ap	opellate Authority)
1 Particu	lars of appellant:	
(i) I	Name and father's name of the appellant	·
(ii) O	fficial address	:
(iii) R	esidential address	:
2. Name	and address of the respondent(s)	
(i)		
(ii)		
(iii)		
2. Numl	per and date of the order appealed agains	t and name and designation of the officer / authority
who	passed the order, or a statement of a decis	sion, action or omission of the procuring entity in
	avention to the provisions of the Act by w	
lf the Ap	pellant proposes to be represented by:	
5. Numb	er of affidavits and documents enclose wi	th the appeal:
6. Groun	ds of appeal:-	
		(Supported by an affidavit
7. Prayer		
Place		
Date		

Appellant's Signature

#### SELF-DECLARATION - NO BLACKLISTING

I/We declare that I/We are bonafide Manufacturer/ Authorized Dealer in the Good/Stores/Equipments/Furniture's for which I/We have Tendered. I/ We hereby declare that presently our Company/ firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/UT.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date : Place:

> Name of the Bidder Authorised Signatory Seal of the Organisation

### AGREEMENT (See Rule 68)

(On non-judicial Stamp Paper of Rajasthan Government of the value as per S.R.-16)

An agreement made this ------ day of ------ between ------ between ------ between ------ (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

02. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the \_\_\_\_\_\_ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column\_\_\_\_\_\_ of the said schedule.

03. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs.\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_.

(1) Cash/Bank Draft/Challan No./Banker Cheque No.\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_

(2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

(3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

04. Now these Presents witness:

(01) In consideration of the payment to be made by the Government through\_\_\_\_\_ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth

in\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract. (02) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No.

\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(03) Letters Nos.\_\_\_\_\_ received from tenderer and letters nos.\_\_\_\_\_ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(04) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through\_\_\_\_\_ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(c) The mode of Payment will be as specified below:-

1.\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_

05. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order :-

S. No. Items Quantity

**Delivery period** 

06. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

a. Delay up to the one fourth period of the prescribed delivery period. 2.5 %

b. Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period. 5.0 %

c. Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period. 7.5 %

d. Delay exceeding three fourth of the prescribed period. 10 %

Note :

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.

07. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the...... day of ...... 20......

Signature of the approved supplier.	Signature with Designation
Date:	Date:
Witness No. 1	1. Witness
Witness No.2	2.Witness

एस.आर.—17

करार (अनुबंध) पत्र (निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

1.	यह करार पत्र आज दिनांकको प्रथम पक्ष	·					
		आ समझा जावेगा।					
2.	राजस्थान राज्य के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधि	<b>e</b>					
	संख्यादिनांक की निविदा के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय /आपूर्ति आदेश क्रमांकदिनांकराशिराशिअक्षरे						
	गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत	पूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तो पर दिये					
3.	उक्त कार्यादेश∕आपूति आदेश की राशि प्रतिशत, राशिकी कार्य सम्पादन प्रतिभूषि	के पेटे 5					
4.	दिनांकसे जमा कराई जा चुकी है। यदि अनुमोदित सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तध्						
	विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार की माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी	ो वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक					
5.	माल⁄सेवा की आपूर्ति कार्य आदेश जारी होने की तिशि जावेगी।						
6.	सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा विनिश्चत किए जावेंगे						
	जो अन्तिम रूप से स्वीकार⁄मान्य होंगे। निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनां हस्ताक्षर किए।	क को अपने					
	न पक्षकार मोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)	द्वितीय पक्षकार (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर)					
साक्षी	संख्या १	साक्षी संख्या 1					
साक्षी	संख्या २	साक्षी संख्या 2					